

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड- II में प्रकाशनार्थ)

सं.-13017/15/2015-अ.भा.से-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 24 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अवमानना मामले (सी) संख्या 293/2021 के दिनांक 12.10.2021 के आदेश का अनुपालन करते हुए केन्द्र सरकार सुश्री निधि, आई.ए.एस (पश्चिम बंगाल: 2013) को श्री देवेश कुमार महला, आई.पी.एस. (ए.जी.एम.यू.टी. 2012) से उनके विवाह के आधार पर 20 अक्टूबर, 2021 से पश्चिम बंगाल संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23094142

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड,

नई दिल्ली।